निर्णय ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 102/2021 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

रामनिवास पुत्र श्री रामचन्द्र जाति अहीर निवासी ग्राम खेडी मिल्क, तहसील किशनगढ, रेनवाल जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री जयन्त कुमार चौधरी आर ए एस सहायक कलक्टर, सांभर लेक, जिला जयपुर।
2. गणपत लाल पुत्र जोधा
3. गणेश लाल पुत्र जोधा
4. भगवान सहाय पुत्र जोधा
5. सूरजकरण पुत्र जोधा
6. सुलतान पुत्र गोमा उर्फ गोविन्दा
7. सांवर पुत्र भगवान सहाय
8. जीवण पुत्र बद्री
9. भंवरी देवी पत्नी महादेव प्रसाद
10. मनीष पुत्र महादेव प्रसाद
11. मोहन पुत्र बद्री
12. रामजीलाल पुत्र बद्री
13. रामेश्वर लाल पुत्र नन्दा
14. रामसहाय पुत्र नन्दा
15. शंकर लाल नन्दा
16. श्या राम पुत्र नन्दा
17. संदीप पुत्र महादेव प्रसाद
18. सम्पत पुत्र महादेव प्रसाद
19. सुशीला पुत्री महादेव प्रसाद
20. सोहन पुत्र बद्री

    समस्त जाति मीणा, निवासी खेडी मिल्क, तहसील किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर ।

21. आनन्दी लाल पुत्र रामपाल
22. फूला देवी पुत्री रामपाल
23. मीरा देवी पुत्री रामपाल
24. राजू पुत्र रामपाल
25. रामवतार पुत्र रामपाल
26. रामकिशन पुत्र रामपाल
27. सोनी देवी पुत्र रामपाल

    समस्त जातियान रेगर, निवासीयान खेडी मिल्क, तहसील किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर

28. बीजाराम पुत्र हनुमान
29. कानाराम पुत्र हनुमान

जिला कलक्टर जयपुर

30. रामेश्वर लाल पुत्र हनुमान

समस्त जाति अहीर निवासीयान खेडी मिल्क, तहसील किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर

31. तहसीलदार किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बाबत सहायक कलक्टर जयपुर सांभर लेक के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 43/2021 ब उनवानी रामनिवास बनाम गणपत लाल व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः–

1. श्री किशन लाल जांगिड अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री ओम प्रकाश सैनी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 28 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 21.10.2021

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय सहायक कलक्टर सांभर लेक के समक्ष प्रकरण संख्या 43/2021 ब उनवानी रामनिवास बनाम गणपत लाल व अन्य रास्ते बाबत वाद विचाराधीन है। जिसमें प्रार्थी ने पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।
2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। सहायक कलक्टर सांभर लेक से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 30 की ओर से वकील श्री ओम प्रकाश सैनी ने उपस्थित होकर वकालतनामा व लिखित बहस पेश की ।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई ।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी एक 78 वर्षीय वयोवृद्ध वरिष्ठ नागरिक है जो पूर्णरूप से कानून व न्याय में विश्वास रखता है। जबकि अप्रार्थीगण 2 लगायत 27 ने नाजायज गिरोह बना रखा है तथा अप्रार्थीगण 2 ता 27 राजनीतिक पहुंच वाले व्यक्ति है। अप्रार्थी संख्या 2 ता 27 राजनीतिक पहुंचा के चलते प्रार्थी को धमकी दी कि उनकी पहुंच उपर तक है तथा वह न्यायालय से मनचाहा आदेश प्राप्त कर लेगें एवं प्रार्थी का उक्त विचाराधीन वाद निरस्त करवा देंगे। दिनांक 11.07.2021 को अप्रार्थी संख्या 2 गणपत लाल ने प्रार्थी के सामने फोन पर बात की जिसमे बार बार अप्रार्थी संख्या 1 श्री जयन्त कुमार का नाम बार बार जिक कर रहे थे जिस पर प्रार्थी को घोर आश्चर्य हुआ। प्रार्थी को यह अन्देशा है कि अप्रार्थीगण 2 ता 27 ने अप्रार्थी संख्या 1 से सांठ गांठ कर ली एवं अप्रार्थी संख्या 1 उनके

जिला कलक्टर
जयपुर

प्रभाव में आकर उक्त वाद में अनुचित आदेश पारित कर सकता है । ऐसी स्थिति में प्रार्थी को उक्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 1 से न्याय की कतई उम्मीद नही रही है । प्रार्थी उक्त वाद को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करवाना चाहता है। प्रार्थना पत्र में वर्णितानुसार परिस्थिति में उक्त वाद को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में ट्रान्सफर किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। जिससे प्रार्थी को न्याय की प्राप्ति हो सके। अप्रार्थी गण ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र का जबाब भी नहीं दिया है। अतः उक्त प्रकरण को न्यायालय सहायक कलक्टर सांभर लेक से किसी भी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने के आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 28 के सुयोग्य अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश करते हुये प्रार्थी के तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि पक्षकारान की खातेदारी कृषि भूमि वाके ग्राम खेडी मिल्क तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर में स्थित है। जिसमें प्रार्थी द्वारा धारा 188 राजस्थान काश्तश्कारी अधिनियम 1955 के तहत वाद प्रस्तुत किया गया है। जबकि मूल विवाद रास्ते को लेकर है। रास्ते के विवाद धारा 251 व 251(1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत दायर किये जाते है, धारा 188 के तहत नही। धारा 251 के प्रकरण सुनने का क्षेत्राधिकर सहायक कलक्टर को नहीं है। जबकि प्रार्थी ने गलत धारा का उल्लेख कर गलत न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर एक पक्षीय स्थगन भी प्राप्त कर रखा है। इसलिए प्रार्थी ने मूल प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किये जाने की मन्शा से कपोल कल्पित तथ्य अंकित करते हुये यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

6. उभयपक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. चूंकि प्रकरण में पक्षकारान के मध्य रास्ते को लेकर विवाद बताया गया है। खातेदारी भूमि में चलते रास्ते का विवाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 के तहत पेश होते है। जबकि प्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 के तहत सहायक कलक्टर सांभर लेक के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया है। धारा 188 में रास्ते का विवाद नहीं आते है। रास्ते बाबत सुनवाई क्षेत्राधिकार सहायक कलक्टर को नही है। प्रार्थी ने रास्ते का विवाद होने के बावजूद गलत धारा में सहायक कलक्टर सांभर लेक के समक्ष वाद प्रस्तुत कर रखा है और एक पक्षीय स्थगन भी प्राप्त कर रखा है। प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किये जाने की मन्शा से यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया जाना पाया गया है। जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत है। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के आरोपों को कोई बल नही मिलता है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति सहायक कलक्टर सांभर लेक को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 21.10.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

21/10/21

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला कलक्टर
जयपुर